राजस्थान सरकार

न्यायालय अति. जिला कलक्टर करौली(राज0)

पीठासीन अधिकारी सुदर्शनसिह तोमर आर.ए.एस

मुकदमा नम्बर 114/019 आर सी एम सए नं0 2019/00122 तारीख रजू 19.02.2019

1 सरकार जरिये तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली :–प्रार्थी

बनाम

1 रामसहाय पुत्र मांगीलाल जाति जागा निवासी लाडपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली

2 एस.बी.बी.जे. हाल एस.बी.आई शाखा टोडाभीम

– अप्रार्थीयान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः– 1 श्री श्यामलाल शर्मा वकील अप्रार्थी
2 पैरोकार सरकार तहसीलदार

निर्णय दिनांकः–04.12.2019

भूमिधारी तहसीलदार टोडाभीम ने अप्रार्थीयान के विरूद्व यह प्रार्थना पत्र रेफरेन्स का प्रस्तुत कर अवगत कराया है। कि आराजी खसरा नम्बर 350,353 कुल किता 2 कुल रकवा 1.25 है0 ग्राम लाडपुर तहसील टोडाभीम मे स्थित है जिसका प्रार्थी लेण्ड होल्डर है। यह कि गत आराजी खसरा नम्बर 229 रकवा 4 वीघा 19 विस्वा सन् 1947 एवं इसके पश्चात गैरमुमकिन तलाई के रूप मे दर्ज था परन्तु जमाबंदी सम्बत 2018 से 21 के खाता संख्या 1 मे यह भूमि नामान्तकरण संख्या 51 दिनांक 29.05.1966 सें आवंटन होकर रामसहाय पुत्र मांगीलाल के खातेदारी मे दर्ज हो गई है। तत्पश्चात भू प्रबन्ध विभाग द्वार गत खसरा नम्बर 229 का नवीन खसरा नम्बर 350,353 बनाकर हाल जमाबंदी मे अप्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड मे दर्ज झील तालाब नदी नाले जलाशय आदि की भूमि पर निजी खातेदार अधिकार उदभूत नही होते है। इस प्रकार से यह अंकित हस्तानान्तकरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0सिबिल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार मे माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 2.8.2004 के द्वारा नदी,नाले,जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.8.1947 मे राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। को वापिस सरकारी भूमि दर्ज करने एवं इसके बाद हुये परिवर्तन को अवैध घोषित किये जाने निर्देश है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है। कि खसरा नम्बर 350,353 कुल किता 2 कुल रकवा 1.25 है0 वाके ग्राम लाडपुर को वापिस राजकीय भूमि गैरमुमकिन तलाई को दर्ज किये जाने के आदेश दिये जावे।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिऐ प्रार्थना पत्र के साथ रिपोर्ट पटवारी,मिसल जमाबंदी सम्बत 2018 से 21 मिलान क्षेत्रफल ,हाल जमांबदी संम्बंत 2071 से 2074 तक खसरा गिरदावरी नक्शा ट्रेस पेश की है।

प्रार्थी का प्रार्थना दर्ज पंजीका कर अप्रार्थीयान को जरिये नोटिस तलब किया गया। जिसमे अप्रार्थी फॉत हो गया है अप्रार्थी का पुत्र ने जरिये वकील एक प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन किया गया है कि तहसीलदार द्वारा मृतक के खिलाफ यह रेफरेन्स पेश किया गया है जो गलत है इसे खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्षकार अभिभाषकगणो की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पैरोकार सरकार ने अपने बहस कथन में तहसीलदार टोडाभीम द्वारा प्रस्तुर रेफरेन्स माननीय उच्च न्यायालय जयपुर की खण्डपीठ के अनुसार सही पेश किया गया है जिसकी ताहीद में साविक व हाल रिकॉर्ड सामिल पत्रावली है जिसमे भूमि गैर मु. तलाई थी जिसे नियमन गलत तरीके से किया गया है। प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जावे।

वकील अप्रार्थी ने अपने बहस कथन मे कहा गया कि अप्रार्थी खातेदार रामसहाय का स्वर्गवास दिनांक 19.11.2008 को हो चुका है तहसीलदार ने मृतक के खिलाफ रेफरेन्स पेश किया गया है जो चलने योग्य नही है जिसे इसी स्टेज पर खारिज फरमाया जावे।

हमने वकील अप्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत जवाव एवं प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन करने पर पाया कि जमाबंदी सम्बंत 2018 से 21 के खाता संख्या 1 मे आराजी खसरा नं. 229 किस्म से गै0 मु0 तलाई के नाम दर्ज रिकॉर्ड रही है जिसे नामान्तकरण संख्या 51 दिनांक 29.05.1966 से आवंटन/ नियमन से गैरखातेदारी से खातेदारी दर्ज होकर खातेदारी मे दर्ज हो गई है किन्तु खातेदार श्री रामसहाय पुत्र रामजीलाल जाटव का निधन मुमाबिक मृत्यू प्रमाण पत्र के अनुशार दिनांक 19.11.2008 को ही हो चुका है जिसकी छाया प्रति वकील अप्रार्थी ने प्रस्तुत की है तहसीलदार टोडाभीम ने यह रेफरेन्स इस न्यायालय मे दिनांक 19.02.2019 को पेश किया है जिससे विधित हो रहा है कि रेफरेन्स करने से पूर्व ही खातेदार कास्तगार की मृत्यू हो गई है मृत्यू हो जाने पर किसी भी पक्षकार के रूप मे कार्यवाही नही की जा सकती है। व्यक्ति का अधिकार व्यक्ति कि मृत्यू हो जाने पर उसके साथ ही समाप्त हो जाता है इस आधार पर बाद का उपसमन हो जाता है।

अतः भूमिधारी तहसीलदार टोडाभीम का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का खातेदार कास्तगार फॉत हो जाने (उपशमन) पर खारिज किया जाता है। तहसीलदार नवीन प्रार्थनापत्र/रेफरेन्स प्रस्तुत करने मे स्वतंत्र रहेगा। निर्णय की प्रति तहसीलदार टोडाभीम को भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 04.12.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(सुदर्शन सिह तोमर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2020.01.21 16:04:47 IST
Reason: SelfAttested
Location: